



राजकीय महाविद्यालय, करौली

जिला-करौली (राज0) ☎: 07464-250023

विवरणिका

सत्र : 2023-2024

Email ID

: pgcollegekarauli@gmail.com , GC.KARAULI@RAJASTHAN.GOV.IN

Website for College webpage : <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gckarauli>



सम्पादक मण्डल

1- डॉ श्रीफल मीना	आचार्य	इतिहास
2- श्री रफीक अहमद	सह आचार्य	गणित
3- श्री गोरेलाल मीना	सह आचार्य	हिन्दी
4- श्री रामसिंह मीना	सह आचार्य	वनस्पतिशास्त्र
5- श्री चेताराम मीना	सहायक आचार्य	प्राणीशास्त्र

प्रकाशक : प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्राचार्य सन्देश	3
2.	करौली नगर: एक परिचय	4
3.	राजकीय महाविद्यालय करौली: एक परिचय	5
4.	पाठ्यक्रम सिंहावलोकन	6–11
5.	महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध स्थान	12
6.	शैक्षणिक सूचनाएँ (अ) प्रवेश विधि (ब) प्रवेश नियमावली (स) उपस्थिति नियम (द) आचरण संबन्धी नियम	13–19
7.	महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ	20–27
8.	महाविद्यालय शुल्क तालिका	28–29
9.	महाविद्यालय परिवार	30–32
10.	Help Desk	33
11.	Contact Us	34–35
12.	विद्या ददाति विनयम्	36

प्राचार्य की कलम से

प्रिय विद्यार्थियो,



श्री राधा मदनमोहन जी के पावन धाम् तथा राजराजेश्वरी माँ कैलादेवी की श्रद्धास्थली में स्थित महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु पदार्पण करने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1960 में हुई और यह स्थापना वर्ष से ही विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में स्नातक एवं सात विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की एवं शारीरिक विकास हेतु खेलकूद की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तथा बौद्धिक विकास हेतु पुस्तकालय भी उपलब्ध है। उत्कृष्ट कार्य, परीक्षा परिणाम एवं सुरम्य वातावरण आदि के कारण राज्य सरकार द्वारा इस महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज घोषित किया गया था। तथा निकट भविष्य में इस कॉलेज को "नॉलेज सेंटर" के रूप में विकसित किये जाने की संभावना है।

प्रिय विद्यार्थियो आपका दायित्व है कि महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का भरपूर लाभ उठावें। मेरी कामना है कि महाविद्यालय में अध्ययन काल को अपने जीवन का अविस्मरणीय काल बनायें। आपके सुखद जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

शुभेच्छु
(श्री नत्थू सिंह राजपूत)
प्राचार्य

करौली नगर: एक परिचय

अरावली की गोद में पाँच नदियों (भद्रावती, वरखेडा, भैसावट, मांची, अटा) के संगम पर बसा यह करौली नगर राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित बृजांचल का हिस्सा है। करौली मध्यकालीन युग का एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना यदुवंशी राजा अर्जुन देव ने कल्याणपुरी के नाम से सन् 1327 में की थी। प्राचीनकाल में यह क्षेत्र कुन्दनपुर नगरी के रूप में विख्यात था। जिसके उत्तर में हरिणाकश्यप का खेड़ा (हिण्डौन) तथा पूर्व में बाणासुर की नगरी बयाना थी। करौली रियासत को 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में तथा 15 मई 1949 को वृहद् राजस्थान में सम्मिलित किया गया। 19.7.97 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने डांग क्षेत्र के विकास हेतु करौली को ज़िला घोषित किया। करौली नगर ऐतिहासिकता एवं धार्मिकता के मणिकांचन संयोग के साथ शक्ति, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी का सुन्दर संगम स्थल है। साम्प्रदायिक सद्भाव की प्रतीक इस नगरी में मस्जिदों की अज़ानें और श्रीमदनमोहन जी की बंशी की मधुर ध्वनि आरती के घण्टों की स्वर लहरियों के साथ हृदय को आह्लादित कर देती हैं। करौली में लगभग 700 श्री कृष्ण भगवान के मंदिरों के मध्य में परम कृपालु श्रीमदनमोहन जी का भव्य मंदिर है। घर घर में तुलसी और टाकुरजी की पूजा की प्राचीन परम्परा के कारण 'मिनिवृंदावन' कहलाने वाली करौली के दर्शन कर मीरा का मन मयूर सहज ही गाने लगा था— 'माई री मोहे लागे वृंदावन नीको'। प्रातः 4 बजे ही गलियों में राधे राधे और 5 बजते ही "अल्लाह हु अकबर" की मधुर ध्वनि यहाँ की जागृत चेतना, श्रद्धा, आस्था एवं आध्यात्मिकता की प्रतीक है।

करौली से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ऊँची पहाड़ियों एवं जंगलों के मध्य कालीसिल नदी के तट पर त्रिकूट पर्वत पर माँ कैलादेवी का भव्य शक्ति पीठ स्थित है। यहाँ चैत्र मास में महीने भर चलने वाला लक्खी मेला लगता है। यहाँ से 36 किलोमीटर दूर जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्रीमहावीरजी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के पास मेंहदीपुर बालाजी का अनुपम मन्दिर है। जहाँ देश के विभिन्न भागों से लाखों दर्शनार्थी आते हैं। पाँच नदियों के सुन्दर संगम पर करौली में पांचना बाँध का निर्माण किया गया है। मण्डरायल के पास बहने वाली चम्बल नदी यहाँ पानी का प्रमुख स्रोत है।

करौली के उत्तर में पर्वत शिखर पर प्रसिद्ध अंजनी माता एवं हनुमानजी का मंदिर स्थित है। आगेडी गांव के पर्वत शिखर पर अम्बिकाजी का मंदिर है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में पांचना बांध, रणगमां का ताल, सागर, कैलादेवी अभयारण्य तथा ऐतिहासिक किलों में तिमनगढ़, मण्डरायल का किला और करणपुर का किला तथा गुमानो देवी का मंदिर लोकप्रिय हैं।

—सम्पादक मण्डल

राजकीय महाविद्यालय करौली : एक परिचय

महाविद्यालय का भवन नगर के पश्चिम में स्थित है इस परिसर के सन्निकट सुरम्य उद्यान में राजकीय विश्राम गृह स्थित है। वृक्षों के झुरमुटों से झांकता महाविद्यालय अपने शांत एवं रमणीक परिवेश के कारण ज्ञानार्जन की दृष्टि से सदैव ही आकर्षण का केन्द्र रहा है।

शिक्षा की दृष्टि से यह महाविद्यालय अपनी गौरवमयी परम्परा एवं समृद्ध विरासत से आगामी पीढ़ी के व्यक्तित्व निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह महाविद्यालय सहस्रों विद्यार्थियों में अन्तर्निहित गुणों को अंकुरित, पल्लवित व पुष्पित करने की दृष्टि से विशेष अग्रणी रहा है।

वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय कोटा से संबद्ध यह महाविद्यालय सन् 1960 में कला संकाय से आरम्भ हुआ। सन् 1962 में विज्ञान की कक्षाएँ एवं सन् 1970 में वाणिज्य की कक्षाएँ प्रारम्भ हुई। सत्र 1977-78 में वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशासन एवं कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिविज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ हुई। सत्र 1980-81 में लेखा एवं सांख्यिकी तथा 1981-82 में आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन के विषयों की स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ हुई। सत्र 1982-83 में कला संकाय के अन्तर्गत इतिहास विषय की स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ हुई। तथा 1989-90 सत्र में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत वनस्पतिशास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ हुई। सत्र 2017-18 में कला संकाय के अन्तर्गत भूगोल विषय की स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ हुई।

महाविद्यालय ज्ञानवर्द्धनी, वाग्देवी माँ शारदा की पावन स्थली है, जो सदैव जिज्ञासु मन को ज्ञान से संचित कर संतृप्त करती है। विद्वान गुरुजनों ने अपने शिष्यों के जीवन को तम से निकाल कर आलोक पथ की ओर अग्रहित किया है, इस पथ पर चलने के लिए विनम्रता सहिष्णुता, साहस, लगन, जिज्ञासा एवं दृढ संकल्प होना अनिवार्य है।

इसलिए प्रिय विद्यार्थियो, महाविद्यालय के अतीत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएँ। आपको गन्तव्य तक पहुँचाने के लिए हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।

विद्या के पावन परिसर में, आप सभी का अभिनन्दन ।

कीर्तिध्वजा लहराये जग में, उन्नत हो तुम नित नूतन ॥

—सम्पादक मण्डल

पाठ्यक्रम सिंहावलोकन

कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

1. कला संकाय स्नातक पाठ्यक्रम

Course Name: BA Part I ---- Compulsory Subjects	
1	GENERAL HINDI
2	GENERAL ENGLISH
3	ELEMENTARY COMPUTER APPLICATIONS
4	ENVIRONMENTAL STUDIES

Course Name: BA Pt I --- Subject wise Seats			
Sr. No.	Optional Subjects Available	No. of Sections	Subjectwise Seats
1	ECONOMICS	1	80
2	ENGLISH LITERATURE	1	80
3	GEOGRAPHY	5	400
4	HINDI LITERATURE	7	560
5	HISTORY	8	640
6	PHILOSOPHY	1	80
7	POLITICAL SCIENCE	8	640
8	SANSKRIT	2	160
9	SOCIOLOGY	3	240

Course Name: B. A. Pt I ---- Optional Subject Groups						
Sr. No.	Group - A	Group - B	Group – C	Group - D	Group – E	Group - F
1	ECONOMICS	ENGLISH LITERATURE	GEOGRAPHY	HINDI LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE
2	SANSKRIT	SOCIOLOGY	PHILOSOPHY			

Course Name: B. A. Pt I -- All applicable/running combinations in college				
In Online Admission Form candidates should fill atleast five of the following 13 subject combinations in order of their choice.				
Sr. No.	Subject 1	Subject 2	Subject 3	Groups
1	SANSKRIT	SOCIOLOGY	HISTORY	ABE
2	SANSKRIT	GEOGRAPHY	POLITICAL SCIENCE	ACF
3	ECONOMICS	GEOGRAPHY	POLITICAL SCIENCE	ACF
4	ECONOMICS	HINDI LITERATURE	HISTORY	ADE
5	ENGLISH LITERATURE	GEOGRAPHY	POLITICAL SCIENCE	BCF
6	SOCIOLOGY	HINDI LITERATURE	HISTORY	BDE
7	SOCIOLOGY	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	BEF
8	ENGLISH LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	BEF
9	GEOGRAPHY	HINDI LITERATURE	HISTORY	CDE
10	PHILOSOPHY	HINDI LITERATURE	HISTORY	CDE
11	GEOGRAPHY	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	CDF
12	PHILOSOPHY	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	CEF
13	HINDI LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	DEF

नोट : 1. विद्यार्थियों को विषय समूहों की कम से कम 5 वरीयताएं भरना अनिवार्य है।

2. विद्यार्थियों द्वारा भरे गए पांच विषय समूहों में स्थान रिक्त नहीं होने पर अन्य विषय समूहों में ही प्रवेश दिया जाना संभव होगा।

बी.ए. पार्ट द्वितीय – वर्ग – अधिकतम 12

विषय : बी.ए. पार्ट–प्रथम में लिये गए विषय

बी.ए. पार्ट तृतीय – वर्ग – अधिकतम 12

विषय : बी.ए. पार्ट–प्रथम में लिये गए विषय

2. कला संकाय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1. महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं भूगोल विषयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया जा सकता है।
2. इन विभागों से संबंधित विशेष जानकारी संबंधित विभाग प्रभारियों से प्राप्त की जा सकती है।

3. वाणिज्य संकाय स्नातक पाठ्यक्रम

Course Name: B.Com. Part I -- Compulsory Subjects	
1	GENERAL HINDI
2	GENERAL ENGLISH
3	ELEMENTARY COMPUTER APPLICATIONS
4	ENVIRONMENTAL STUDIES

Course Name: B.Com. Part I --- Subject wise Seats			
Sr. No.	Optional Subjects Available	No. of Sections	Subjectwise Seats
1	A.B.S.T.	1	80
2	BUS. ADM.	1	80
3	E.A.F.M.	1	80

Course Name: B.Com. Part I --- Optional Subject Groups	
--	--

Sr. No.	Group - A	Group - B	Group – C	
1	A.B.S.T.	BUS. ADM.	E.A.F.M.	
Course Name: B.Com. Part I -- Applicable/running subject combination in college				
In online admission form Candidates must fill the following unique subject combination.				
Sr. No.	Subject 1	Subject 2	Subject 3	Groups
1	A.B.S.T.	BUS. ADM.	E.A.F.M.	ABC

4. वाणिज्य संकाय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

- 1 महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय में आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध, लेखांकन एवं व्यवसायिक सांख्यिकी और व्यवसायिक प्रबन्ध विषयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया जा सकता है।
- 2 आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध और व्यवसायिक प्रबन्ध विषयों में किसी भी संकाय के विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- 3 **विशेष** – इन विभागों से संबंधित विशेष जानकारी संबंधित विभाग प्रभारियों से प्राप्त की जा सकती है।

5. विज्ञान संकाय स्नातक पाठ्यक्रम

Course Name: B.Sc. Part I Maths -- Compulsory Subjects				
1	GENERAL HINDI			
2	GENERAL ENGLISH			
3	ELEMENTARY COMPUTER APPLICATIONS			
4	ENVIRONMENTAL STUDIES			
Course Name: B.Sc. Part I Maths --- Subject wise Seats				
Sr. No.	Optional Subjects Available	No. of Sections	Subjectwise Seats	
1	CHEMISTRY	2	140	
2	MATHEMATICS	2	140	
3	PHYSICS	2	140	
Course Name: B.Sc. Part I Maths --- Optional Subject Groups				
Sr. No.	Group – A	Group - B	Group – C	
1	CHEMISTRY	MATHEMATICS	PHYSICS	
Course Name: B. Sc. Part I Maths -- Applicable/running subject combination in college				
In online admission form Candidates must fill the following unique subject combination.				
Sr. No.	Subject 1	Subject 2	Subject 3	Groups
1	CHEMISTRY	MATHEMATICS	PHYSICS	ABC

Course Name: B.Sc. Part I Biology -- Compulsory Subjects	
1	GENERAL HINDI
2	GENERAL ENGLISH
3	ELEMENTARY COMPUTER APPLICATIONS
4	ENVIRONMENTAL STUDIES

Course Name: B.Sc. Part I Biology --- Subject wise Seats			
Sr. No.	Optional Subjects Available	No. of Sections	Subjectwise Seats
1	CHEMISTRY	2	140
2	BOTANY	2	140
3	ZOOLOGY	2	140

Course Name: B.Sc. Part I Biology --- Optional Subject Groups				
Sr. No.	Group - A	Group - B	Group - C	
1	CHEMISTRY	BOTANY	ZOOLOGY	ABC

Course Name: B. Sc. Part I Biology -- Applicable/running subject combination in college				
In online admission form Candidates must fill the following unique subject combination.				
Sr. No.	Subject 1	Subject 2	Subject 3	Groups
1	CHEMISTRY	BOTANY	ZOOLOGY	ABC

6. विज्ञान संकाय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम- 1. वनस्पति शास्त्र

विशेष –इस विषय से संबंधित विशेष जानकारी विभाग प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है।

महाविद्यालय में सत्र 2023–24 हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध स्थान निम्न प्रकार हैं।

Course	Total Seats
B.A. Part I	960
B.Com. Part I	80
B.Sc. Part I Bio	140
B.Sc. Part I Maths	140
M.A. Previous History	60
M.A. Previous Political Science	60
M.A. Previous Geography	20
M.Sc. Previous Botany	30
M.Com. Previous E.A.F.M.	40
M.Com. Previous A.B.S.T.	40
M.Com. Previous Bus.Adm.	40

नोट : आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा यदि सीटों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो बड़ी हुई सीटों पर प्रवेश देय होगा।

=====

शैक्षणिक सूचनाएं

(अ) प्रवेश विधि

(1) स्नातक प्रथम वर्ष

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदक को वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in पर दिये गये “Admission” लिंक पर जा कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रवेश कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रवेश नीति 2023–24 के अनुसार होगा।

प्रवेश नीति 2023–24 एवं प्रवेश से सम्बन्धित सभी जानकारियां, राजकीय महाविद्यालय करौली के वेब पेज <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gckarauli> पर विद्यमान, “Admission” पेज पर उपलब्ध हैं।

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर आवेदक अंतिम तिथि तक पुनः आवेदन पत्र भर सकता है।
2. अभ्यर्थी को ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मैरिट एवं प्रतीक्षा सूची जारी होने से पहले महाविद्यालय में जमा नहीं करानी है। मैरिट एवं प्रतीक्षा सूचियों में जिन अभ्यर्थियों का नाम आता है, उन्हें महाविद्यालय आकर ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी, बधाई पत्र एवं अपने सभी मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। इसके पश्चात् ही अभ्यर्थी ई-मित्र/नेट बैंकिंग-डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन फीस जमा करवा सकते हैं।
3. ऑनलाइन प्रस्तुत की गई जानकारी एवं महाविद्यालय में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में भिन्नता/असंगतता पाये जाने पर महाविद्यालय, आवेदक को ऑनलाइन फीस जमा कराने से रोक सकेगा तथा आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) निरस्त कर सकेगा।
4. महाविद्यालय ऑनलाइन फीस के अतिरिक्त अन्य देय फीस भी वसूल सकेगा।
5. प्रतीक्षा सूची में से शुल्क जमा करवा चुके ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्रवेश के लिए स्थान नहीं बना पायेंगे, उनके द्वारा ऑनलाइन जमा करवाया गया प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जावेगा।
6. मैरिट सूची एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य महाविद्यालय में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक निर्धारित खिड़कियों पर किया जावेगा। तथा अंतिम तिथि को यह कार्य सायं 5:00 बजे तक किया जावेगा।
7. सत्यापन हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेज महाविद्यालय में प्रस्तुत करने होंगे :-
 - 1) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किये गये सभी दस्तावेज।
 - 2) मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र।
 - 3) आय प्रमाण पत्र (केवल नॉन टैक्स पेअर सामान्य पुरुष एवं ओ.बी.सी. पुरुष अभ्यर्थी)
 - 4) सैकेन्डरी की अंकतालिका
 - 5) सीनियर सैकेन्डरी की अंकतालिका

(2) स्नातकोत्तर (पूर्वाद्ध)

स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में प्रवेश हेतु भी आवेदक को वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in पर दिये गये लिंक "Admission" पर जा कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में प्रवेश हेतु आवेदक को वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in पर दिये गये "Click Here For Online Admission" लिंक पर जा कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रवेश कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रवेश नीति 2023-24 के अनुसार होगा।

प्रवेश नीति 2023-24 एवं प्रवेश से सम्बन्धित सभी जानकारियां, राजकीय महाविद्यालय करौली के वेब पेज <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gckarauli> पर विद्यमान, "Admission" पेज पर उपलब्ध हैं।

प्रवेश सूची/प्रतीक्षा सूची में नाम आने पर आवेदकों को, निम्नलिखित दस्तावेजों सहित महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

- 1) संबंधित पार्ट प्रथम, द्वितीय व तृतीय उत्तीर्ण किये जाने की अंकतालिका की फोटो प्रतियां।
- 2) अन्य सभी आवश्यक प्रमाण पत्र तथा प्रवेश होने पर मूल प्रतियां जमा करानी होंगी। अन्यथा फीस जमा नहीं की जावेगी।
- 3) यदि छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/अति पिछड़ी जाति का/की है, तो उसकी पुष्टि में जिला कलेक्टर/प्रथम श्रेणी दण्डनायक के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें।
- 4) जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के कर्मचारी हों, वे संबंधित विभागाध्यक्ष से आय प्रमाणित करवायें, तभी शिक्षण शुल्क से मुक्ति दी जा सकेगी।
- 5) आय प्रमाण पत्र— निर्धारित प्रपत्र पर अभिभावक की वार्षिक आय की घोषणा राजपत्रित अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। प्रदत्त प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- 6) खेल आदि में विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र जिसके आधार पर बोनस अंक चाहे गये हों।
- 7) विश्वविद्यालय परिवर्तन का प्रमाण पत्र (माईग्रेशन प्रमाण पत्र), यदि प्रार्थी कोटा विश्वविद्यालय—कोटा के क्षेत्र के बाहर से आ रहा हो।

(3) स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष / स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध

1. सत्र 2014-15 से एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू की गई है। स्नातक प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के सभी नियमित/पूर्व विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय परीक्षा 2023 में प्रविष्ट हुए हैं, उन्हें पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना ही अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दे दिया जायेगा। **पूर्व कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने की प्रतीक्षा किये बिना स्नातक द्वितीय, तृतीय व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के विद्यार्थी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारित अवधि में ईमित्र पर प्रवेश शुल्क जमा कराएँगे।** कक्षा में सत्रारम्भ से ही अध्ययन प्रारम्भ कर दें। निर्धारित अवधि में ईमित्र पर शुल्क जमा नहीं कराने पर उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित हो जाने पर विद्यार्थी का अस्थाई प्रवेश निरस्त माना जायेगा तथा प्रवेश शुल्क लौटा दिया जायेगा।
2. महाविद्यालय में नियमित कक्षाएँ 01 जुलाई 2023 से प्रारम्भ हो जाएँगी। किसी कारण कक्षाएँ प्रारम्भ होने की तिथि के सम्बन्ध में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान द्वारा यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसका पालन किया जायेगा।
3. प्रथम भाग स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को, जिसका कोई पेपर बकाया न हो (अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों में उत्तीर्ण) तथा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर द्वितीय भाग में (स्थान रिक्त होने पर वरीयता क्रम में) प्रवेश देय होगा। आरक्षित श्रेणी में 50 प्रतिशत प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में स्थान रिक्त रहने तक प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को कॉमन एडमिशन फॉर्म (CAF) द्वारा ऑफलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। (CAF) वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gckarauli> से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. स्वयंपाठी विद्यार्थियों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जायेगा, जबकि समस्त नियमित/पूर्व छात्रों को प्रवेश देने के उपरान्त संबंधित कक्षा/वर्ग में स्थान रिक्त हों तथा वैकल्पिक विषयों का समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।
5. स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश कॉमन एडमिशन फॉर्म (CAF) के माध्यम से ऑफलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे।
6. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरार्द्ध में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ब) प्रवेश नियमावली

1. महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय/विषय में जितने छात्रों की संख्या निर्धारित है उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा।
2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
3. अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. जिन विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको सत्र के प्रारंभ में ही निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश लेना होगा। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ होने की तिथि से मानी जाएगी।
5. प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा।
6. प्रवेश हो जाने पर कार्यालय से अपना परिचय पत्र, फीस की रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त कर लें। परिचय पत्र को महाविद्यालय में सदा अपने साथ रखें। परिचय पत्र गुम हो जाने की स्थिति में शपथ पत्र प्रस्तुत कर एवं 25 रु. जमा करवा कर नया परिचय पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
7. प्रवेश आवेदन पत्र पर छात्र/छात्रा के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होना आवश्यक है तथा उनका सत्यापन राजपत्रित अधिकारी द्वारा होना चाहिये।
8. सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जावेगा, जिसके लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. प्रवेश आवेदन पत्र में दिये गये किसी भी असत्य विवरण का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा।
10. निम्नलिखित श्रेणी के विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा :-
 - 1) वह विद्यार्थी जो विगत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो।
 - 2) वह विद्यार्थी जिसको वांछित उपस्थिति की कमी के कारण निरंतर दो वर्ष तक परीक्षा में सम्मिलितहोने से रोका गया हो।
 - 3) वह विद्यार्थी जो एक वर्ष उपस्थिति की कमी के कारण रोका गया हो तथा दूसरे वर्ष अनुत्तीर्ण हो गया हो।
 - 4) वह विद्यार्थी जिसको गत परीक्षा उत्तीर्ण किये दो वर्ष से अधिक का समय हो गया हो।
 - 5) एक ही कक्षा में निरंतर दो वर्ष तक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को नए संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है।
 - 6) ऐसे प्रवेश आवेदक जिनके विरुद्ध महाविद्यालय प्रशासन ने पुलिस में प्राथमिक दर्ज कराई हो।
11. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण कभी आपत्तिजनक पाया गया या उसने कॉलेज का अनुशासन भंग किया या उसके प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई या अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य के हस्ताक्षर करवाये अथवा स्वयं ने हस्ताक्षर किये, तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय समझा जावेगा और उसका प्रवेश तुरंत रद्द कर दिया जावेगा।
12. प्राचार्य किसी विद्यार्थी को कारण बताते हुए महाविद्यालय में प्रवेश देने से इंकार कर सकते हैं तथा प्रवेश निरस्त कर सकते हैं।
13. आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को कॉलेज में पुनः प्रवेश लेते समय तत्सम्बन्धी जाति प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
14. विद्यार्थियों के आचरण, चरित्र, विकास तथा नियमित रूप से कक्षा में उपस्थिति एवं शुल्क आदि जमा कराने की जिम्मेदारी उनके माता पिता अथवा अभिभावकों की होगी।
15. प्रत्येक विद्यार्थी को यह घोषणा करनी होगी कि वह राजकीय अथवा अर्द्ध राजकीय या किसी निजी संस्था की सेवा में नहीं है।
16. कक्षा के जिस वर्ग में प्रवेश दिया जावेगा सामान्यतः उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

17. प्रत्येक संकाय के पृथक-पृथक आवेदन-पत्र भरना अनिवार्य है।
18. आवश्यक होने पर बाहर के विश्वविद्यालय/बोर्ड के पूरक प्रवेशार्थियों का प्रवेश केवल तभी दिया जा सकता है जबकि उसका पूरक परीक्षा का परिणाम प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व घोषित हो गया हो। (वि. वि. अधिनियम-198 बाद टिप्पणी-3)
19. श्रेणी सुधार के प्रयोजन से महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। (वि.वि. अधिनियम-169 एफ.)
20. प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट्ट देखना चाहिये, अन्यथा कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
21. एन.सी.सी./एन.एस.एस. प्रवेश हेतु संबंधित अधिकारी से संपर्क करें तथा सूचना पट्ट देखें।

(स) उपस्थिति नियम

1. सत्र में लिए गए सभी विषयों के व्याख्यानों में पृथक पृथक कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। सैद्धान्तिक (थ्योरी) एवं प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कक्षाओं को पृथक पृथक विषय माना जायेगा। उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर संबंधित छात्र को परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में नहीं बैठने दिया जावेगा।
2. जो विद्यार्थी एन.सी.सी. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), अन्तरमहाविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिता आदि में भाग लेने भेजे जावेंगे उन्हें उन दिवसों की उपस्थिति दी जायेगी।
3. उपस्थिति सत्र के आरंभ में कक्षाओं के लगने की तिथि से मानी जावेगी। यदि कोई विद्यार्थी विषय परिवर्तन करता है तो पूर्व विषय की उपस्थिति नए विषय में नहीं जोड़ी जावेगी। यदि कोई विद्यार्थी इस महाविद्यालय में सत्र के बीच में किसी अन्य महाविद्यालय से आता है तो उसके स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र में अंकित उपस्थिति कुल उपस्थिति में जोड़ दी जावेगी।
4. उपस्थिति संबंधी नियम विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित होते हैं तथा वे ही मान्य होंगे।

(द) आचरण संबंधी सामान्य नियम

1. महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. किसी भी सभा का आयोजन करने या बाहर से किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिये प्राचार्य की अनुमति आवश्यक है।
3. विद्यार्थी कक्षाओं के भीतर व बाहर शांत रहेंगे।
4. विद्यार्थी अपने खाली समय का उपयोग पुस्तकालय व वाचनालय में करें।
5. विद्यार्थी घास के मैदानों एवं फूल पौधों का उचित संरक्षण एवं संबर्द्धन करें तथा नुकसान न पहुंचाये।
6. विद्यार्थी महाविद्यालय सम्पदा का उचित ढंग से उपयोग करें।
7. पूर्व छात्र प्राचार्य की लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करने पर ही कक्षा में बैठें।
8. अनुशासन भंग करना गंभीर अपराध है। अनुशासनहीन विद्यार्थी को दण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है।

9. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये गये विद्यार्थी को छात्रवृत्ति एवं शुल्क मुक्ति नहीं दी जावेगी।
10. अच्छा चरित्र प्रमाण पत्र पाने के लिये अच्छा आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितांत आवश्यक है।
11. राज्य सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक स्थल धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, ज़र्दा, तम्बाकू एवं नशीली वस्तुओं का सेवन दण्डनीय अपराध होगा।
12. प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय समय में अपना परिचय पत्र अपने पास रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी के पूछे जाने पर दिखाना चाहिए।
13. दुराचरण या गंभीर दुराचरण करने पर दोषी विद्यार्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम 88 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसके अन्तर्गत दोषी विद्यार्थी को कुछ समय के लिये अथवा पूरे सत्र के लिये महाविद्यालय से निकाला जा सकता है।
14. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाने वाले अथवा अधीक्षक के आदेशों की अवहेलना करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय अधिनियम 152 के प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जावेगा। विश्वविद्यालय अधिनियम एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम, 1992 व 152 की धारा 4 के अन्तर्गत अधीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को उस प्रश्न पत्र की अथवा शेष समस्त प्रश्न पत्रों की परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
15. पुस्तकालय की पुस्तकों को दूसरे विद्यार्थियों के साथ हस्तान्तरित करना अथवा उनकी चोरी गंभीर अपराध माना जावेगा। तदनुसार दोषी विद्यार्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
16. कक्षा के अन्तर्गत तथा महाविद्यालय परिसर में की गई अनुशासनहीनता को गंभीर दुराचरण माना जावेगा और दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावेगी।
17. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने महाविद्यालय परिवार के परिजनों के प्रति विनयशील रहें तथा महाविद्यालय की सम्पत्ति की रक्षा स्वयं करें और हानि पहुंचाने वालों को रोकें और ऐसी घटनाओं को प्रशासन की जानकारी में लाएं।
18. महाविद्यालय भवन जिसमें पुस्तकालय भवन, प्रयोगशाला भवन भी शामिल है की दीवारों पर कुछ भी न लिखें। यदि कोई विद्यार्थी दीवारों पर लिखते हुये पाया गया या जिसके समर्थन में लिखा गया है, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

कक्षा

1. महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिये बिना विद्यार्थी को कक्षा में नहीं बैठने दिया जावेगा।
2. विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति शालीन रहें।

3. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने शिक्षक के आने से पूर्व अपनी कक्षाओं में प्रविष्ट हों तथा शिक्षक द्वारा कक्षा छोड़ने तक वहीं रुके रहें।

सभा स्थल

1. महाविद्यालय द्वारा आयोजित किसी सभा या समारोह के अवसर पर सभी विद्यार्थी अतिथिगण, प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों के सभा स्थल में प्रवेश होने एवं प्रस्थान करने के समय शिष्टाचार पूर्वक खड़े रहें तथा उनके स्थान ग्रहण करने से लेकर स्थान छोड़ने तक सभा स्थल पर उपस्थित रहें।
2. प्रत्येक परिसंवाद और वाद-विवाद में विनम्रता, सम्मान और सद्व्यवहार अपेक्षित है।

विश्वविद्यालय अध्यादेश 88

अगर कोई विद्यार्थी गंभीर दुर्व्यवहार अथवा जान बूझ कर कार्य की उपेक्षा करने का दोषी पाया गया तो प्राचार्य उसकी प्रवृत्ति और अपराध की गम्भीरता से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उस विद्यार्थी को

1. एक माह तक महाविद्यालय से निलम्बित कर सकते हैं।
2. छः माह या एक शैक्षणिक सत्र के लिये निष्कासित कर सकते हैं।
3. दी जाने वाली परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर सकते हैं। निष्कासित विद्यार्थी महाविद्यालय की अनुमति के बिना अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकेगा।

रैगिंग निषेध

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि यदि महाविद्यालय में रैगिंग सम्बन्धित कोई गतिविधि प्राचार्य के सामने आती है तो उसमें लिप्त विद्यार्थियों को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। यदि उनके जबाब से प्राचार्य संतुष्ट नहीं हुए तो विद्यार्थियों को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। (साभार— यू.जी.सी. भोपाल पत्र क्रमांक No. F, 1-8/2006 (CPP-II) दिनांक 4.3. 2008)

=====

महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ

(1) पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय पुस्तकालय अलग भवन में स्थापित है। इनमें मुक्त द्वार प्रणाली को अपनाया गया है। विद्यार्थियों के लिए अलग से अध्ययन कक्ष (वाचनालय) है। जिसमें पत्र-पत्रिकाएँ एवं आरक्षित पाठ्य पुस्तकें पढ़ने की सुविधा है। वाचनालय में विद्यार्थियों के उपयोग के वाइफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। पाठ्य पुस्तक कक्ष में छात्रोपयोगी पुस्तकें रखी हुई हैं जिसमें से प्रतिदिन विद्यार्थियों को पुस्तकें निर्गमित की जाती है। पुस्तकालय में बुक बैंक योजना के अन्तर्गत निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को पूरे सत्र के लिये भी पुस्तकें दी जाती है।

पुस्तकालय के नियम

1. पुस्तकालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी अपना निजी सामान काउन्टर पर रखें।
2. वाचनालय खुलने का समय प्रातः 10.30 से सांय 5.00 बजे तक का है। विद्यार्थियों को पुस्तकें प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2 बजे तक उनके कार्ड पर परिचय पत्र दिखाने पर निर्गमित की जाती है। बुक बैंक से पुस्तकें निर्धारित तिथियों पर 2.30 बजे से 5 बजे तक निर्गमित की जाती हैं।
3. कार्यालय से प्राप्त विद्यार्थियों की सूची के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को दो पाठक टिकट दिये जाते हैं। इसके लिए उन्हें काउन्टर पर अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। यह पाठक टिकट हस्तान्तरणीय नहीं है।
4. पुस्तकालय से विद्यार्थियों को पुस्तकें उनके पाठक टिकट पर 15 दिन के लिये निर्गमित की जाती है। निर्धारित तिथि तक न लौटाने पर प्रत्येक पुस्तक पर 25 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दण्ड लिया जायेगा।
5. पुस्तकालय के बुक बैंक से निर्धन विद्यार्थियों को पुस्तकें दी जाती है। इसमें उपलब्ध पुस्तकों में से पूरे वर्ष तक के लिए बुक बैंक समिति की अनुशंसा के अनुसार ही पुस्तकें दी जाती है। इसके लिए फार्म महाविद्यालय से प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक पुस्तकालय में देना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. पुस्तकालय की पुस्तकों पर अपना नाम लिखने, इनमें किसी भी तरह का चिह्न लगाने अथवा पृष्ठ फाड़ने या पुस्तक को अन्य किसी भी प्रकार से खराब करने पर पुस्तक के मूल्य की दोगुनी राशि वसूली जावेगी।
7. सत्र की समाप्ति पर विद्यार्थियों को अपने पाठक टिकट एवं बुक बैंक की पुस्तकें जमा करानी होंगी। तभी उन्हें अदेय प्रमाण-पत्र दिया जा सकेगा।
8. संदर्भ ग्रन्थ/आरक्षित पाठ्य पुस्तकें और पत्रिकाएँ घर के लिये ले जाने पर विद्यार्थियों को अपना परिचय पत्र उपस्थित कर्मचारी को देना होगा। पत्रिकाओं में से पृष्ठ फाड़ने या उनके चित्र खराब करने की स्थिति में दोषी विद्यार्थियों से पत्रिका का दोगुना मूल्य वसूल किया जायेगा।
9. यदि कोई विद्यार्थी पुस्तकालय की पुस्तक चोरी करते हुए पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय नियमावली के नियम 88 के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।

10. पुस्तक प्राप्त करने से पूर्व भली भांति पुस्तक को देख कर लेना चाहिये। यदि पुस्तक के पन्ने फटे हुए हों या कम हों तो संबंधित अधिकारी को दिखाकर उनके हस्ताक्षर करा लें अन्यथा पुस्तक लौटाते समय यदि वह फटी हुई पाई जावेगी अथवा उनके पृष्ठ कम पाये जायेंगे तो उसके लिये विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. विद्यार्थी का कार्ड खोने व उन पर प्राप्त की गई पुस्तकों के खो जाने पर तुरंत लिखित सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी चाहिये।
12. पुस्तकाल के द्वारपाल को बाहर जाने वाली सभी पुस्तकों को देखने का पूर्ण अधिकार है।
13. पुस्तकालय कर्मचारियों को विद्यार्थियों की तलाशी का अधिकार होगा।

बुक बैंक

महाविद्यालय के ऐसे नियमित विद्यार्थी जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उन्हें बुक बैंक से पुस्तकें दिये जाने की राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। अतः ऐसे विद्यार्थी पुस्तकालय के सूचना पट्ट पर जारी सूचना के अनुसार आवेदन राशि 1 रु. देकर पुस्तकें नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।

अमानत राशि पर निर्गमित पुस्तक व्यवस्था

परीक्षा काल में पाठ्य पुस्तकें अमानत राशि पर विद्यार्थियों को देने का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत 1 रु. में निर्धारित आवेदन पत्र पुस्तकालय से प्राप्त कर वांछित पुस्तकें आवेदन पत्र में अंकित कर पुस्तकालय के अग्रेषण पर कैशियर को पुस्तक मूल्य की दोगुनी राशि जमा करवा कर परीक्षाकाल पर्यन्त पढ़ने के लिये पुस्तक रख सकते हैं, किंतु परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह में उन्हें जमा कराना अनिवार्य है। अन्यथा 25 पैसे प्रतिदिन प्रति पुस्तक विलम्ब दण्ड देय होगा जो अदा न किये जाने पर अमानत राशि से वसूल कर लिया जावेगा।

पुस्तकें लौटाने की व्यवस्था

पुस्तकालय पत्र एवं उन पर ली गई पुस्तकें परीक्षा प्रवेश पत्र लेने से पूर्व लौटा देनी होंगी। पुस्तकालय पत्र खो जाने की स्थिति में एक रूपया प्रति पत्र जमा कराना होगा तथा 5 रूपये अतिरिक्त दण्ड देय होगा। खोये गए पत्र पर प्राप्त की गई पुस्तक/पुस्तकों के लिये पुस्तकालय जिम्मेदार नहीं होगा।

बुक बैंक से ली गई पुस्तकें भी परीक्षा पूर्व लौटानी होंगी। यदि कोई विद्यार्थी इन पुस्तकों को परीक्षा समाप्ति तक रखना चाहेगा तो उसे एक निर्धारित पत्र पर जो कि पुस्तकालय में उपलब्ध होगा, अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही उन पुस्तकों की दोगुनी कीमत कार्यालय में जमा करानी होगी। परीक्षा समाप्ति के बाद विद्यार्थी द्वारा पुस्तक पुस्तकालय में जमा कराने पर पुस्तकों की जमा राशि कार्यालय द्वारा उसे लौटा दी जावेगी। यदि विद्यार्थी परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह बाद तक पुस्तकें नहीं लौटाता है तो अमानत राशि जब्त कर राजकीय कोष में जमा करा दी जावेगी। जो पुनः देय नहीं होगी इसके साथ ही सात दिन बाद 25 पैसे प्रतिदिन विलम्ब दण्ड देय होगा।

(2) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा मामले व खेल मंत्रालय के अधीन एक सेवा कार्यक्रम है। यह योजना 24 सितम्बर 1969 को गाँधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आरम्भ हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज सेवा का अनुभव प्रदान करना है। इस सेवा योजना पर ध्येय वाक्य— 'Not Me, But You' है। यह कार्यक्रम राजकीय महाविद्यालय, करौली में वर्ष 1969 से ही संचालित है। वर्तमान में इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाईयाँ स्वीकृत हैं, जिनमें प्रत्येक वर्ष 150 विद्यार्थी पंजीकृत किये जाते हैं। एन.एस.एस. गतिविधियों में भाग लेने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है, परन्तु प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थी को एक आवेदन पत्र भरना आवश्यक है, जो महाविद्यालय के एन.एस.एस. के कार्यक्रम अधिकारियों से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

यह योजना महात्मा गाँधी एवं स्वामी विवेकानन्द जी के सपनों का साकार स्वरूप है। अपने शैशव से यौवन की यात्रा में एन.एस.एस. ने शैक्षणिक परिसरों को समाज से जोड़ने का काम किया है तथा सार्वजनिक हित की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें तथा राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बनें।

कार्यक्रम को अभिनव बनाने के लिये राष्ट्रीय एकता, एड्स के प्रति जागरूकता, बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र/प्रदेश के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने आदि कार्यक्रमों को एकीकृत ढंग से एन.एस.एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. के साथ जुड़कर विद्यार्थी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक हो सकते हैं तथा इस प्रकार समाज में एक अनुक्रियाशील नागरिक बन सकते हैं।

एन.एस.एस. में विद्यार्थियों को नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत 2 वर्ष में 240 घंटे अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। नियमित गतिविधियों में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों पर पुनर्विन्यास, वादविवाद, आशुभाषण, क्विज, जागरूकता आदि कार्यक्रम महाविद्यालय/गोद ली गई बस्ती में आयोजित किये जाते हैं। तथा एक 7 दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना होता है। उत्कृष्ट कोटि का कार्य करने वाले स्वयं सेवकों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किया जाता है।

(3) राष्ट्रीय छात्र सैन्य दल (एन.सी.सी.)

राष्ट्रीय छात्र सैन्य दल द्वारा विद्यार्थियों को सामरिक अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें 16 वर्ष से 26 वर्ष की आयु के स्वस्थ छात्र भाग ले सकते हैं। कैंडिडेट्स को सत्रपर्यन्त कम से कम 120 पीरियड उपस्थित रहना अनिवार्य है और दो वर्ष में एक बार 10 दिन के शिविर में भाग लेना होता है। कैंडिडेट्स को निःशुल्क पोशाक एवं उपकरण, धुलाई भत्ता तथा परेड के समय नाश्ता दिया जाता है। योग्य कैंडिडेट्स को "बी" तथा "सी" प्रमाण पत्र परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। एन.सी.सी. में भर्ती

होने के इच्छुक छात्र/छात्राएँ एन.सी.सी. का आवेदन पत्र भरें। सत्र 2018-19 के एन.सी.सी. कैंडिडेट्स की भर्ती से 33 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं।

(4) छात्रसंघ

महाविद्यालय में कालेज शिक्षा आयुक्तालय के निर्देशानुसार छात्रसंघ का गठन किया जाता है। इसका कार्यकाल एक शैक्षणिक सत्र होता है। इसके अन्तर्गत छात्र कल्याण एवं विकास संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

(5) योजना मंच

महाविद्यालय के किसी भी संकाय का विद्यार्थी इसका सदस्य बन सकता है लेकिन कला संकाय के विद्यार्थियों के लिये सदस्यता अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में देश की समस्याओं और गतिविधियों तथा योजनाबद्ध विकास के प्रति जिज्ञासा एवं जागृति पैदा करना है। इसके लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ विस्तार भाषण, शैक्षणिक कार्यक्रम एवं भ्रमण का आयोजन किया जाता है।

(6) खेलकूद

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए शारीरिक शिक्षा विभाग का यह दायित्व है कि विद्यार्थियों का शारीरिक शिक्षा के माध्यम से चहुमुखी विकास किया जावे। इसलिए महाविद्यालय में बालीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन आदि खेलों की व्यवस्था है। व्यायामशाला में कुश्ती एवं जिमनास्टिक आदि खेलों की व्यवस्था है।

विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है। कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी सायंकाल 4 बजे से खेल मैदान पर जावें। अच्छे स्तर की टीमों को विभाग महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये बाहर भेजता है। समय-समय पर स्थानीय मैच भी आयोजित किये जाते हैं एवं समस्त खेलों में अन्तः संकाय प्रतियोगिताएँ एवं वार्षिक एथलेटिक मीट का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। सत्र के अंत में विजेताओं को पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र दिये जाते हैं।

लॉन टेनिस एवं बैडमिंटन खेलों का भी महाविद्यालय में खेलने का प्रावधान है परंतु इसके लिये अलग से फीस देय होगी। विद्यार्थियों से अधिकतम संख्या में खेल मैदानों पर खेलने की अपेक्षा की जाती है। जिससे उनके शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास में यह विभाग सहयोग कर सके। खेलकूद के इच्छुक विद्यार्थी महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा अनुदेशक से सम्पर्क करें।

(7) स्काउटिंग (रोबर/रेंजर)

देश के विकास के लिए विद्यार्थियों में सेवा एवं पारस्परिक मेल जोल बढ़ाने के लिए महाविद्यालय स्तर पर स्काउटिंग की दो इकाईयां रोबर क्रू (छात्र) एवं रेंजर टीम (छात्राएँ) चलाई जा

रही हैं। जिनका संचालन राज. राज्य भारत स्काउट व गाइड द्वारा होता है। इसके अन्तर्गत स्थानीय जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिविरों एवं कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जो पाठ्यक्रम महाविद्यालय स्तर पर तैयार करवाये जाते हैं उनमें, प्रवेश निपुण एवं राष्ट्रपति रोबर/रेंजर विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

स्काउटिंग के माध्यम से छात्र/छात्राओं के चरित्र निर्माण में मदद मिलती है। तथा राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। जो विद्यार्थी सेवा भावना में विश्वास रखते हैं तथा देश के विकास के प्रति जागरूक हैं, वे पारस्परिक सद्भाव एवं मेलजोल बढ़ाने वाली इस प्रवृत्ति में भाग लेकर लाभान्वित हो सकते हैं।

(8) वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, अध्ययन केन्द्र

सन् 1987 से इस महाविद्यालय में कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा के तत्वावधान में अध्ययन केन्द्र चलता है। जून 2008 से वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का परीक्षा केन्द्र भी महाविद्यालय में स्वीकृत कर दिया गया है। इस केन्द्र पर अधोलिखित पाठ्यक्रमों की काउन्सलिंग होती है।

यहाँ निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

1. बी.एड. 2. डिप्लोमा पुस्तकालय सूचना एवं विज्ञान 3. बी.सी.पी./बी.ए.पी./बी.एस.सी.पी./बी.सी.पी.
4. आधारभूत कार्यक्रम

इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय स्तर पर ही होती है। उक्त पाठ्यक्रमों के लिए इस अध्ययन केन्द्र पर केवल काउन्सलिंग व्यवस्था है। सभी जानकारियों हेतु विश्वविद्यालय से ही संपर्क करना आवश्यक है।

अध्ययन केन्द्र का कार्य दिवस प्रत्येक सप्ताह का रविवार ही होता है। कार्यकाल दोपहर 12.00 से सायं 3.20 तक नियत है।

विशेष :

1. इन पाठ्यक्रमों से संबंधित काउन्सलिंग तथा समस्त कार्य केवल रविवार को ही होते हैं।
2. प्रवेश आवेदन पत्र, परीक्षा आवेदन पत्र तथा अंक तालिका कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा से ही व्यक्तिगत या डाक द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रवेश और परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन करे जा सकते हैं।

(9) शुल्क मुक्ति एवं छात्र सहायता कोष

जिन विद्यार्थियों को विवरणिका में वर्णित नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है, वे शुल्क मुक्ति एवं छात्र सहायता कोष समिति के विचारार्थ अपने आवेदन पत्र दे सकते हैं। ये आवेदन पत्र यहां कार्यालय से उपलब्ध कराये जायेंगे।

अगर किसी अभिभावक के दो या दो से अधिक बच्चे महाविद्यालय में पढ़ते हैं तो शुल्क मुक्ति का लाभ केवल एक को ही मिलेगा।

(10) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU), अध्ययन केन्द्र

राजकीय महाविद्यालय, करौली में जून 2014 से इग्नू अध्ययन केन्द्र 23132 संचालित है। अध्ययन केन्द्र के द्वारा 'दूरस्थ शिक्षा' माध्यम से विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। स्वयंपाठी छात्र/छात्राएँ जो नियमित अध्ययन करने में असमर्थ हैं वे सभी इग्नू अध्ययन केन्द्र के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। एसटी/एससी के छात्र/छात्राएँ स्नातक कोर्स/डिप्लोमा निशुल्क तथा स्नातकोत्तर कोर्स छात्रवृत्ति के साथ कर सकते हैं। महाविद्यालय में प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक अध्ययन केन्द्र प्रभारी से इग्नू द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की अधिकतम जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(11) ई-क्लासरूम

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा महाविद्यालय में E-Class कक्ष स्थापित किया गया है, जो सत्र 2016-17 से महाविद्यालय के नियमित छात्र/छात्राओं को देश-विदेश के विषय-विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन व्याख्यानों से लाभान्वित कर रहा है। जिन विषयों में आचार्यों के पद रिक्त हैं उन विषयों के छात्र/छात्राओं के अध्ययन के लिए आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित समय-सारणी द्वारा अध्ययन-अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। महाविद्यालय में समय सारणी से सम्बन्धित जानकारी के लिए E-Class प्रभारी से महाविद्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

(12) जिला परामर्श केन्द्र (कॉलेज मेंटल हैल्थ प्रोग्राम)

करौली जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति के लिए राजस्थान सरकार के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम के तहत राजकीय महाविद्यालय करौली में विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श देने के लिए जिला परामर्श केन्द्र स्थापित किया गया है। जिसमें विद्यार्थियों को मानसिक तनाव, भय, चिन्ता, अवसाद एवं नशा मुक्ति के लिए परामर्श दिया जाता है। महाविद्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में से किसी को भी किसी प्रकार का मानसिक अवसाद होने पर जिला चिकित्सालय करौली के मनोचिकित्सक डॉ. प्रेमराज मीना से परामर्श एवं काउन्सिलिंग की सुविधा उपलब्ध है।

(13) महिला प्रकोष्ठ

महाविद्यालय परिसर में छात्राओं को स्वस्थ व गरिमामय वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्याख्यान

तथा आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया जाता है। छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे मेहंदी, रंगोली, निबन्ध, कवितापाठ, पत्र वाचन, नृत्य आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। चिकित्सा विभाग के सहयोग से समय-समय पर हीमोग्लोबिन की जाँच करवाकर आयरन की गोलियाँ वितरित की जाती हैं। प्रकोष्ठ का उद्देश्य छात्राओं के बहुमुखी विकास की ओर केन्द्रित है।

(14) रेड रिबन क्लब

महाविद्यालय में राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के तत्वावधान में रेड रिबन क्लब स्थापित है। क्लब का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वैच्छिक रक्तदान व एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है।

रेड रिबन क्लब प्रभारी डॉ. लीना शर्मा द्वारा महाविद्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान के संदर्भ में कार्यशाला व विभिन्न प्रतियोगिताएँ तथा रक्तदान शिविर आयोजित किये जाते हैं। एड्स के प्रति जागरूकता के लिए विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे नारा लेखन, पोस्टर निर्माण, क्विज प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाती हैं। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर एड्स के प्रति जागरूक किया जाता है।

(15) आई.सी.टी. लैब एवं वाइफाई सुविधा

महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए सूचना एवं संचार के संसाधन के रूप में कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट की सुविधा हेतु आई.सी.टी. लैब उपलब्ध है। तथा महाविद्यालय परिसर में समस्त विद्यार्थियों एवं स्टाफ के लिए वाइफाई की सुविधा भी उपलब्ध है।

(16) नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के अन्तर्गत स्ववित्तपोषित/स्ववित्तसंसाधन प्रबंधन/जन सहयोग/प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को निःशुल्क ज्ञानवर्धक एवं रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।

राज्य सरकार की बजट घोषणा की क्रियान्विति में जारी निर्देशों की पालना में एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर से समय-समय पर जारी निर्देशों की पालन कर विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में अध्ययनरत युवाओं में कौशल विकास हेतु Skill Enhancement & Employable Training (SEET) कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इसमें राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) एवं राजस्थान स्किल यूनियर्सिटी के माध्यम से प्रति वर्ष राज्य के लगभग दस हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को ऑनलाइन/ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई-कन्टेंट बैंक की स्थापना की गई है। जिसमें कॉलेज शिक्षकों द्वारा दिये गये लैक्चर्स को रिकार्ड किया जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य में भी विद्यार्थियों को निरन्तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करायी जाती रहेगी।

(17) कम्प्यूनिटी बुक बैंक

कम्प्यूनिटी बुक बैंक द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती हैं। एक निश्चित समय सीमा के उपरांत विद्यार्थी अध्ययन कर वापस पुस्तकालय में जमा करवाता है जिससे अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित होते हैं। कोई भी व्यक्ति कम्प्यूनिटी बुक बैंक में पुस्तकें दान कर सकता है। जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।

(18) प्लेसमेंट सेल

महाविद्यालय में एक प्लेसमेंट सेल स्थापित है। प्लेसमेंट सेल विभिन्न फर्मों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निरन्तर सम्पर्क में रह कर महाविद्यालय से पास होने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए नौकरी के अवसरों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लेसमेंट सेल विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करता है और उन्हें कैंट, गैट, सैट, नैट, आर.पी.एस.सी., यू.पी.एस.सी, एस.एस.सी. व आई.बी.पी.एस. आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए मार्गदर्शन करता है।

(19) एल्यूमिनाई एसोसिएशन

महाविद्यालय में एल्यूमिनाई एसोसिएशन सत्र 2020-21 से कार्यरत है। इसके निम्नांकित कार्य हैं।

1. पूर्व विद्यार्थियों से निरन्तर सम्पर्क कर उनको आमंत्रित करना।
2. महाविद्यालय के विकास के लिए बजट प्राप्ति के प्रयास करना।
3. नवीन स्नातक एवं अधिस्नातक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करके उन्हें समाज के लिए उपयोगी गतिविधियों से जोड़ना।
4. महाविद्यालय के भौतिक, शैक्षणिक व सहशैक्षणिक विकास में पूर्व विद्यार्थियों का सहयोग लेना।

(20) आंतरिक शिकायत समिति (ICC)

आंतरिक शिकायत समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन-उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार कार्य कर महाविद्यालय में महिलाओं व छात्राओं को निर्भय एवं गरिमामय वातावरण प्रदान करने में सहायता करती है।

(21) छात्रा कक्ष

महाविद्यालय में छात्राओं की सुविधा एवं उपयोग के लिए दो छात्रा कक्ष भी उपलब्ध हैं। जिनमें छात्रों का प्रवेश वर्जित है।

(22) स्टूडेंट एडवाइज़री ब्यूरो (SAB) एंड हैल्प डैस्क

महाविद्यालय में स्टूडेंट एडवाइज़री ब्यूरो एंड हैल्प डैस्क स्थापित है। जो कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराती है। तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन हेतु परामर्श देती है।



GOVT. COLLEGE KARAU LI - FEE TABLE SESSION 2023-24

A - GOVERNMENT FEES (Per Year)

S.No.	Description	Fee
1	ADMISSION FEE	2
2	LAB FEE - 1. UG (From Science and Geography Students only) 2. PG (From Botany and Geography Students only)	100 150
3	Transfer Certificate Fee	2
4	Character Certificate Fee	2
TUITION FEE (Per Year)		
		NITP
		ITP
5	UG Part I	42
6	UG Part II and III	54
7	PG Previous and Final	96
		240

B - BOYS FUND FEES (Per Year)

S.No.	Description	GEN/OBC	SC/ST/MBC
1	COLLEGE GAMES FEE	150	150
2	LIBRARY FEE	50	25
3	IDENTITY CARD FEE	30	30
4	COLLEGE MAGAZINE	20	20
5	STUDENT UNION FEE	100	100
6	SOCIAL WELFAIRE	10	5
7	COLLEGE DEVELOPMENT	50	25
8	TERMINAL TEST EXAMINATION ACADEMIC DEVELOPMENT FEE	10	10
9	CULTURAL ACTIVITY FEE	10	10
10	MEDICAL CHECK UP FEE	10	5
11	STUDENT HELP FEE	10	5
12	RANGERING SCOUT GUIDE	10	5
13	GENERAL PURPOSE FEE	20	20
14	ENVIRONMENT FEE CAMPUS CLEANING	20	10
15	COLLEGE BUILDING REPAIRING	30	30
16	FURNITURE REPAIRING	20	20
17	IT FEE	100	50
	Total Student Fund	650	520

C - OTHER FEES

20	INSURANCE PREMIUM	0	0
21	COMPUTER EDUCATION FEES (From UG I Students only)	200	200
22	MAHAVIDYALAY VIKAS SAMITI FEE	150	150
23	PLANNING FORUM (From Economics Students Only)	15	15
24	CAUTION MONEY	40	40
25	WOMEN CELL	20	20
26	EXCURSION FEE (From PG Stundts only)	300	300
27	DEGREE FEE	100	100

दिव्यांग विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

शिक्षण शुल्क में छूट के नियम :-

1. जिन विद्यार्थियों के अभिभावक राज्य कर्मचारी हैं किन्तु आयकर नहीं देते हैं उनसे, नियोजक/कार्यालय अध्यक्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ी जाति व अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा। चाहे इनके अभिभावक आयकरदाता ही क्यों न हों।
3. छात्राओं से भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।
4. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल/राजस्थान राज्य परिवहन निगम एवं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर आश्रित विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क लिया जावेगा जो संबन्धित विभाग से पुनर्भरण करा सकेंगे।
5. स्वतंत्रता सैनानियों के आश्रितों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।
6. युद्ध में शहीद जवानों के आश्रितों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा। पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों पर आश्रित विद्यार्थियों से जिनके अभिभावक आयकर नहीं देते हैं, शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।

नोट :

1. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये संबंधित विद्यार्थी को 2.00 रु. निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 50.00 रूपये विकास शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे।
2. महाविद्यालय छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी को तीन वर्ष की अवधि में ही कौशन मनी लौटाई जावेगी। इस अवधि के पश्चात वह राजकीय कोष में जमा करा दी जावेगी।
3. डिग्री प्राप्त करने तथा किसी प्रतियोगी परीक्षा के फार्म अग्रेषण के लिए 100.00 रूपये विकास शुल्क जमा कराना होगा।
4. उपर्युक्त शुल्क राशि में यदि राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा कोई परिवर्तन या वृद्धि की जाती है तो विद्यार्थी द्वारा वह राशि देय होगी।
5. स्नातकोत्तर विद्यार्थियों से 300 रूपये प्रति विद्यार्थी भ्रमण शुल्क लिए जाएगा।
6. परिचय पत्र खो जाने पर 25 रूपये देकर डुप्लीकेट बनवाया जा सकता है।



महाविद्यालय परिवार

शिक्षा के प्रणेता : राजपत्रित अधिकारी

प्राचार्य : श्री नत्थू सिंह राजपूत

कला संकाय

1. अंग्रेजी विभाग (2)

1. श्री विश्राम सिंह मीना, सहायक आचार्य
2. श्री ब्रजेश कुमार मीना, सहायक आचार्य

2. अर्थशास्त्र विभाग (1)

1. श्री देवीसहाय प्रजापत, सहायक आचार्य

3. भूगोल विभाग (6)

1. श्री भोलाराम शर्मा, सह आचार्य
2. श्री मनमोहन मीना, सह आचार्य
3. श्री रविन्द्र कुमार मीना, सहायक आचार्य
4. श्रीमती प्रियंका मीना, सहायक आचार्य
5. रिक्त
6. रिक्त

4. हिन्दी विभाग (6)

1. डॉ. दामोदर लाल मीना, सह आचार्य
2. श्री विनोद शंकर मीना, सह आचार्य
3. श्री गोरेलाल मीना, सह आचार्य
4. डॉ. सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य
5. डॉ. महेन्द्र सिंह मीना, सहायक आचार्य
6. रिक्त

5. इतिहास विभाग (7)

1. डॉ. श्रीफल मीना, आचार्य
2. डॉ. जमुना लाल मीना, आचार्य
3. श्रीमती मनीषा मीना, सहायक आचार्य
4. रिक्त
5. रिक्त
6. रिक्त
7. रिक्त

6. दर्शनशास्त्र विभाग (1)

1. डॉ. जितेन्द्र पाकड़, सहायक आचार्य

8. समाजशास्त्र विभाग (3)

1. डॉ. रूकमणी मीना, आचार्य
2. श्री मनीराम मीना, सहायक आचार्य
3. रिक्त

7. राजनीतिशास्त्र विभाग (7)

1. डॉ. पप्पू राम कोली, सह आचार्य
2. श्रीमती मिथलेश गुप्ता, सह आचार्य
3. डॉ. हीरालाल मीना, आचार्य
4. श्री सुरेश चन्द गुप्ता, सहायक आचार्य
5. श्री राम अवतार मीना, सहायक आचार्य
6. रिक्त
7. रिक्त

9. संस्कृत विभाग (3)

1. श्री भंवर लाल मीना, सह आचार्य
2. श्रीमती वैजयन्ती मीना, सहायक आचार्य
3. डॉ. गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य

विज्ञान संकाय



1. वनस्पतिशास्त्र विभाग (8)

1. डॉ. लीना शर्मा, आचार्य
2. डॉ. सीताराम खण्डेलवाल, आचार्य
3. श्री रामसिंह मीना, सह आचार्य
4. श्रीमती सोनम बामनिया, सहायक आचार्य
5. डॉ. महेश चन्द्र मीना, सहायक आचार्य
6. डॉ. विक्रम सिंह मीना, सहायक आचार्य
7. श्री कारूलाल मीना, सहायक आचार्य
8. श्रीमती रमेशी मीना, सहायक आचार्य

2. रसायन शास्त्र विभाग (7)

1. डॉ. विश्राम लाल बैरवा, सह आचार्य
2. श्री रामलखन मीना, सहायक आचार्य
3. डॉ. मुनेश लाल मीना, सहायक आचार्य
4. डॉ. ओम प्रकाश मीना, सहायक आचार्य
5. डॉ. जगदीश मीना, सहायक आचार्य
6. श्री प्रीतम सिंह मीना, सहायक आचार्य
7. श्री हरिओम मीना, सहायक आचार्य

3. प्राणीशास्त्र विभाग (6)

1. श्री चेताराम मीना, सहायक आचार्य
2. श्री प्रेमचन्द्र मीना, सहायक आचार्य
3. श्री दिनेश चन्द्र मीना, सहायक आचार्य
4. रिक्त
5. रिक्त
6. रिक्त

4. भौतिक शास्त्र विभाग (2)

1. श्री नत्थू सिंह राजपूत, सह आचार्य
2. श्रीमती भाग्यश्री दमाच्या, सहायक आचार्य

5. गाणित विभाग (2)

1. श्री रफीक अहमद, सह आचार्य
2. श्री रामकेश मीना, सहायक आचार्य
3. श्रीमती सरोज कुमारी मीना, सहायक

वाणिज्य संकाय

1. लेखा एवं सांख्यिकी विभाग (1)

1. रिक्त

2. व्यावसायिक प्रशासन विभाग (1)

1. रिक्त

3. ई.ए.एफ.एम. विभाग (1)

1. रिक्त

पुस्तकालय अध्यक्ष (1)

1. श्री विजय सिंह

शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (1)

1. रिक्त

मंत्रालयिक अधिकारी / कर्मचारी



प्रशासनिक अधिकारी – (1)

1. श्री धनपाल मीना

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी – (1)

1. श्री कमलेश कुमार शर्मा

सहायक प्रशासनिक अधिकारी – (1)

1. रिक्त

सहायक लेखा अधिकारी I – (1)

1. श्री विनोद कुमार गर्ग

प्रयोगशाला सहायक– (5)

1. श्री समय सिंह जाटव
2. श्री जगदीश प्रसाद मीना
3. श्री विकास कुमार महावर
4. श्री दिनेश कुमार
5. श्री गोपाल सिंह

वरिष्ठ सहायक – (1)

1. श्री रमेश चन्द यादव

मैकेनिक– (1)

1. रिक्त

कनिष्ठ सहायक – (2)

1. श्री आयुष कुमार पाण्डेय
2. रिक्त

लैब बॉय– (5)

1. रिक्त
2. रिक्त
3. रिक्त
4. रिक्त
5. रिक्त

च.श्रे.कर्मचारी (9)

1. श्रीमती कमलबाई
2. श्री रमेश चन्द कहार
3. रिक्त
4. रिक्त
5. रिक्त
6. रिक्त
7. रिक्त
8. रिक्त
9. रिक्त

बुक लिफ्टर– (1)

1. रिक्त

ऐनिमल कैचर (1)

1. रिक्त

Help And Contact

College Phone Number	07464-250023
College Email ID	pgcollegekarauli@gmail.com GC.KARAUЛИ@RAJASTHAN.GOV.IN
Principal's Mobile No.	9414314961
Higher & Technical Education Rajasthan Website	www.hte.rajasthan.gov.in
College webpage on HTE	https://hte.rajasthan.gov.in/college/gckarauli

Help Desk For Admissions

FOR	CONTACT TO
Convener Admissions and Help Desk	Dr. Vishram Lal Bairwa (Associate Professor, Chemistry) -- 9414726250
Online Admission Process (OAP) - UG	Sh. Rafique Ahemad (Associate Professor, Maths) -- 9462554533 Sh. Chetram Meena (Assistant Professor, Zoology) -- 9414781889
Online Admission Process (OAP) - PG	Dr. Sitaram Khandelwal (Professor, Botany) -- 9414329230 Sh. Chetram Meena (Assistant Professor, Zoology) -- 9414781889
B.A. Part I	Dr. Heera Lal Meena (Professor, Political Science) -- 7568434857 Dr. Jamuna Lal Meena (Professor, History) -- 9414364579
B.Sc. Part I (Bio & Maths)	Sh. Ram Lakhna Meena (Assistant Professor, Chemistry) -- 9983938023
B.Com. Part I / II / III, M.Com. Previous and Final	Smt. Mithlesh Gupta (Associate Professor, Pol. Sc.) -- 9413816800
B.A. Part II	Sh. Manmohan Meena (Associate Professor, Geography) -- 9414364583
B.Sc. Part II (Bio & Maths)	Sh. Ram Singh Meena (Associate Professor, Botany) -- 9414329244
B.A. Part III	Dr. Damodar Lal Meena (Associate Professor, Hindi) -- 9414329164
B.Sc. Part III (Bio & Maths)	Dr. Munesh Lal Meena (Assistant Professor, Chemistry) -- 9983655097
M.Sc. (Botany) Previous & Final	Dr. Leena Sharma (Professor, Botany) -- 8005796481
M.A. History Previous & Final	Dr. Shripal Meena (Professor, History) -- 9414346327
M.A. Pol. Science Previous & Final	Dr. Pappu Ram Koli (Associate Professor, Pol. Sc.) -- 9414329221
M.A. Geography Previous & Final	Sh. Manmohan Meena (Associate Professor, Geography) -- 9414364583

Help Desk For Antiragging issues

FOR	CONTACT TO
Anti Ragging Help Line (College)	Sh. Natthu Singh (Associate Professor, Physics) -- 9414314961
Anti Ragging Help Line (Nation)	1800-180-5522
Email ID For Anti Ragging Help	helpline@antiragging.in
Website For Anti Ragging Affidavit	www.antiragging.in

GOVT. COLLEGE KARALI (RAJ.)

Contact Us

Principal	Sh. Natthu Singh Rajput	9414314961
Landline No.		(07464)250023
E-Mail Address	pgcollegekarali@gmail.com	
	GC.KARALI@RAJASTHAN.GOV.IN	
College Webpage Access on HTE Portal	https://hte.rajasthan.gov.in/college/gckarali	

S.N.	For	Contact to	Contact No.
1	Student Advisory Bureau & Help Desk	Sh. Gore Lal Meena	9413295704
2	Library	Sh. Vijay Singh	9529590183
3	Anti Ragging Help	Sh. Natthu Singh	9414314961
4	UGC	Dr. Pappu Ram Koli	9414329221
5	College Website	Dr. Mahendra Singh Meena	8209611595
6	UG Admissions (Nodal)	Sh. Rafique Ahemad	9462554533
7	PG Admissions (Nodal)	Dr. Sitaram Khandelwal	9414329230
8	UG & PG Admissions (Assistant Nodal)	Sh. Chetram Meena	9414781889
9	Post Metric Scholarship (SC/ST)	Dr. Vishram Lal Bairwa	9414726250
10	Post Metric Scholarship (OBC/MBC etc.)	Dr. Vishram Lal Bairwa	9414726250
11	C.M. Scholarship	Sh. Ram Singh Meena	9414329244
12	Devnarayan Scooty Yojna	Dr. Mahesh Chand Meena	9887663143
13	Medhavi Scooty Yojna	Dr. Sunil Kumar Sharma	9414744198
14	SC Scooty Yojna	Sh. Maniram Meena	9785921448
15	ST/Manda Scooty Yojna (12 th Pass)	Sh. Ram Lakhan Meena	9983938023
16	ST/Manda Scooty Yojna (10 th Pass)	Sh. Ram Avtar Meena	9414788523
17	EWS Scooty Yojna	Sh. Prem Chand Meena	9414654441
18	Minority Scooty Yojna	Sh. Ram Avtar Meena	9414788523
19	University of Kota (Exam etc.)	Sh. Samay Singh Jatav	9460195123
20	Kota Open University (VMOU)	Dr. Vishram Lal Bairwa	9414726250
21	Indira Gandhi Natinal Open University (IGNOU)	Sh. Ravindra Kumar Meena	8094038618

22	Red Ribbon Club	Dr. Leena Sharma	8005796481
23	Women Cell	Smt. Sonam Bamaniya	9782123988
24	E-Class	Dr. Jagdish Meena	8058175523
25	Skill Development Cell	Dr. Munesh Lal Meena	9883655097
26	College Mental Health Program	Sh. Ram Lakhan Meena	9983938023
27	Sports Activities	Sh. Dinesh Chandra Meena	9461017473
28	NCC	Dr. Mahendra Singh Meena	8209611595
29	NSS (Unit- I)	Dr. Om Prakash Meena	9783745686
30	NSS (Unit- II)	Sh. Vishram Singh Meena	8562085430
31	NSS (Unit- III)	Sh. Brijesh Kumar Meena	9782327505
32	Women Harassement Issues	Dr. Leena Sharma	9413293428
33	Cultural Activities	Dr. Damodar Lal Meena	9414329164
34	Scout (Rover Leader & Ranger Leader)	Dr. Mahesh Chand Meena Smt. Bhagyashri Damachya	8619660860 9462034999
35	Degree issue (UG & PG)	Sh. Samay Singh Jatav	9460195123

विद्या ददाति विनयम्

ध्यानाकर्षण :-

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपना नवीन अद्यतन फोटो अपलोड करें।
2. प्रवेशार्थी प्रवेश सूची में नाम आने के तुरंत बाद निर्धारित तिथि तक अपना शुल्क ईमित्र पर जमा करायेंगे तभी उनका प्रवेश वैध माना जायेगा।
3. कक्षा में कुल व्याख्यान संख्या की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
4. महाविद्यालय की स्थापित स्वस्थ परम्पराओं के निर्वाह हेतु अनुशासित रहना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है।
5. अपना परिचय पत्र सदैव अपने साथ रखें एवं समय-समय पर सूचना पट्ट अवश्य देखें। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवम् अन्य संस्थाओं के कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने का यह एक माध्यम है।

विशेष :-

1. इस विवरणिका में संकलित सामग्री में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्द्धन अथवा विलोपन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, करौली के पास सुरक्षित है।
2. यदि किसी बिन्दु पर इस विवरणिका एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित प्रवेश नीति 2023-24 में विरोधाभास हो तो प्रवेश नीति को ही सही माना जावेगा।

— सम्पादक मण्डल